भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3696
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

<u>एनसीएलटी और कंपनी अधिनियम, 2013</u>

3696 श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के चालू पुनर्गठन मामलों की संख्या और स्थिति क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के किन उपबंधों को अभी अधिसूचित किया जाना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): एनसीएलटी में पुनर्गठन के 1380 मामलों में विभिन्न स्तरों पर सुनवाई चल रही है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 132, 234, 247, 465, खंड 67(ix), धारा 2 के खंड 87 का परंतुक, धारा 212 की उप-धाराएं (8) से (10) और धारा 230 की उप-धाराएं (11) और (12) अभी अधिसूचित नहीं की गई हैं।

*****